बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं जन–जाति कल्याण विभाग।
पत्रांक–3/आ०वि० (विविध) 02–18/2013– 2715

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/
सभी प्रधानाध्यापक (आवासीय विद्यालय),
बिहार।

पटना, दिनांक– 18 नवम्बर, 2013

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्त्ति किये जाने वाले सामानों के संबंध में दिशा–निदेश।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्त्ति किये जाने वाले सामानों के प्राप्ति, वितरण एवं संधारण के संबंध में दिशा–निदेश निम्न प्रकार दी जाती है :–

2– विभाग द्वारा सभी सामानों का नमूना आवासीय विद्यालय, गायघाट, पटना रखा गया है और उसी नमूना के अनुरूप आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा सामानों की आपूर्त्ति करना सुनिश्चित करेंगे। इस गुणवत्ता का सामान प्रत्येक आवासीय विद्यालय में आपूर्त्ति करने हेतु आपूर्त्तिकर्त्ता से इसी तरह का एक नमूना लेकर आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्याक/छात्रावास अधीक्षक/प्रभारी अपने विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे ताकि कभी भी आवासीय विद्यालय में आपूर्त्ति किये गये समानों की गुणवत्ता का मिलान आसानी से किया जा सके।

3– प्रत्येक विद्यार्थी को वर्गवार विभिन्न सामानों को आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्त्ति करने हेतु प्रत्येक ग्रुप ऑफ आईटम्स का एक-एक पैकेज तैयार किया गया है। ताकि कितनी सामग्री प्रत्येक छात्र को मिलेगा और उसका दर क्या होगा, उस पैकेज का कुल लागत कितना होगा, इसको सुनिश्चित करने हेतु तथा प्रत्येक छात्र में समान रूप से सामानों का वितरण सुनिश्चित करने हेतु छात्र–छात्राओं के लिए तैयार किया गया है। विभिन्न पैकेज निम्न प्रकार है:–

पैकेज	सामग्री का पैकेज	आपूर्त्तिकर्त्ता
1	स्कूल्स जूता एवं अन्य सामग्री – छात्र(वर्ग 1 से 3)	मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना
2	स्कूल्स जूता एवं अन्य सामग्री – छात्र(वर्ग 4 से 5)	मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना
3	स्कूल्स जूता एवं अन्य सामग्री – छात्र(वर्ग 6 से 12)	मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना
4	स्कूल्स जूता एवं अन्य सामग्री– छात्रा (वर्ग 1 से 12)	मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना
5	स्पोर्टस जूता एवं अन्य सामग्री–छात्रा (वर्ग 1 से 3)	मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना
6	स्पोर्टस जूता एवं अन्य सामग्री–छात्रा (वर्ग 4 से 5)	मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना
7	स्पोर्टस जूता एवं अन्य सामग्री–छात्र (वर्ग 1 से 3)	मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना
8	स्पोर्टस जूता एवं अन्य सामग्री–छात्र (वर्ग 4 से 5)	मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना।
9	स्पोर्टस जूता एवं अन्य सामग्री–छात्रा (वर्ग 6 से 12)	मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना
10	स्पोर्टस जूता एवं अन्य सामग्री–छात्र (वर्ग 6 से 12)	मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना

11	बेडशीट एवं तौलिया	• मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना • मेसर्स किशन कुमार ड्रॉलिया, पटना • मेसर्स श्री दुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स, पटना।
12	कंबल	मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना
13	गर्म कपड़ा (छात्रा वर्ग 1 से 12)	मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना
14	गर्म कपड़ा (छात्र वर्ग 1 से 3)	मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना
15	गर्म कपड़ा (छात्र वर्ग 4 से 5)	मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना
16	गर्म कपड़ा (छात्र वर्ग 6 से 12)	मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना
17	स्कूल्स ड्रेस छात्र वर्ग 1 से 3 तक	• मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना • श्री गणेश, मुजफ्फरपुर
18	स्कूल्स ड्रेस छात्र वर्ग 4 से 5 तक	
19	स्कूल्स ड्रेस छात्र वर्ग 6	
20	स्कूल्स ड्रेस छात्र वर्ग 7 से 9 तक	
21	स्कूल्स ड्रेस छात्र वर्ग 10 से 12 तक	
22	स्कूल्स ड्रेस छात्रा वर्ग 1 से 3 तक	• मेसर्स आर्मी एण्ड सिविल स्टोर्स, पटना • मेसर्स किशन कुमार ड्रॉलिया, पटना
23	स्कूल्स ड्रेस छात्रा वर्ग 4 से 5 तक	
24	स्कूल्स ड्रेस छात्रा वर्ग 6	
25	स्कूल्स ड्रेस छात्रा वर्ग 7 से 9 तक	
26	स्कूल्स ड्रेस छात्रा वर्ग 10 से 12 तक	
27	बुक्स एवं स्टेशनरी वर्ग 1	• मेसर्स श्री दुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स, पटना। • मेसर्स श्री सूर्या इन्टरप्राइजेज, पटना • मेसर्स वेराईटी व्यापार प्रा०लि०, पटना • मेसर्स श्री गणेश, मुजफ्फरपुर
28	बुक्स एवं स्टेशनरी वर्ग 2	
29	बुक्स एवं स्टेशनरी वर्ग 3	
30	बुक्स एवं स्टेशनरी वर्ग–4	
31	बुक्स एवं स्टेशनरी वर्ग–5	
32	बुक्स एवं स्टेशनरी वर्ग–6	
33	बुक्स एवं स्टेशनरी वर्ग–7	
34	बुक्स एवं स्टेशनरी वर्ग–8	
35	बुक्स एवं स्टेशनरी वर्ग–9	
36	बुक्स एवं स्टेशनरी वर्ग–10	
37	बुक्स एवं स्टेशनरी वर्ग–11 एवं 12 तक	
38	खाना खाने का थाली सेट	मेसर्स वेराईटी व्यापार प्रा०लि०, पटना
39	मैट्रेस तकिया, मच्छरदानी	मेसर्स विजय स्टील फर्नीचर, पटना/कोलकाता
40	पढ़ने वाले टेबुल एवं कुर्सी	मेसर्स विजय स्टील फर्नीचर, पटना/कोलकाता

नोट:–आवासीय विद्यालयवार आपूर्तिकर्ता की सूची अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न है।

4– इन पैकेजों के सामानों का सामग्रीवार विवरणी एवं दर आदि इस पत्र के साथ एनेक्चर'1 के रूप में संलग्न है। इन पैकेजों को प्रत्येक छात्र–छात्राओं को वर्गवार दिये गये पैकेजों के अनुरूप ही वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। इन सामग्री का वितरण विभाग द्वारा निर्धारित किये गये तिथि के अनुसार आपूर्त्तिकर्त्ता

द्वारा सामानों की आपूर्त्ति निर्धारित तिथि पर करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि आपूर्त्ति किये गये सामानों को अनावश्यक भंडार में नहीं रखना पड़े और वितरण में भी अनावश्यक विलम्ब न हो।

5— आपूर्त्तिकर्ता द्वारा सामानों की आपूर्त्ति को सुनिश्चित करने हेतु मुख्यालय स्तर से तिथि निर्धारित कर उपलब्ध कराया जायेगा। उस तिथि के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक पैकेज की प्राप्ति कराना सुनिश्चित की जाए। प्राप्ति रशीद का प्रपत्र एनेक्चर—2 के रूप में संलग्न है।

6— आपूर्त्ति करने के समय प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए तथा सामानों को छात्रवार, पैकेजवार, वर्गवार वितरण करने के लिए निर्धारित तिथि पर वितरण पंजी में छात्र—छात्राओं का हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर तथा प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का हस्ताक्षर लेना सुनिशिचित करेंगे, तत्पश्चात् जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा उस पंजी को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।

7— आपूर्त्ति की गयी सामानों का प्राप्ति रशीद पॉच प्रतियों में तैयार किया जायेगा (प्राप्ति रशीद प्रपत्र मुख्यालय से उपलब्ध कराया जायेगा), प्रथम एवं द्वितीय मूल प्रति आपूर्त्तिकर्त्ता को प्राप्त करा देंगे, तृतीय प्रति विद्यालय के कार्यालय में रक्षित भंडार पंजी में चिपकायेंगें, चतुर्थ प्रति निदेशक, अनु0 जा0 एवं अनु0 ज0जा0 कल्याण विभाग को भेजेंगे एवं पंचम प्रति जिला कल्याण पदाधिकारी को देंगे।

8— आपूर्त्तिकर्त्ता प्राप्ति रशीद की मूल प्रति विपत्र के साथ लगाकर निदेशक, अनु0जा0 एवं अनु0 ज0जा0 को प्रेषित करेंगे तथा एक प्रति अपने पास रेकर्ड के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

9— सामानों को वितरण करते समय यथासंभव स्थानीय विधायक, जिला परिषद् के सदस्य या अध्यक्ष, ग्राम पंचायत प्रमुख, उस विद्यालय के विद्यार्थी का कम—से—कम तीन—चार स्थानीय अभिभावक की उपस्थिति में सामग्री का वितरण करेंगे एवं प्रधानाध्यापक द्वारा उसकी एक कार्यवाही बनाकर एक प्रति विभाग को एवं एक प्रति जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे। सामानों के वितरण तिथि की सूचना से जिला पदाधिकारी को भी अवगत करायेंगे।

10— कृपया उपरोक्त दिशा—निर्देश का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव। 14/11/13

ज्ञापांक :— 3/आ०वि० (विविध) 02—18/2013— 2715 पटना, दिनांक 18 नवम्बर, 2013

प्रतिलिपि, सभी उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव। 14/11/13